ACM महोदय सीकर

मन्नाराम बिश्नोई बनाम लक्ष्मीनारायण वगैरह

8-617

प्रजावली पेश डिग्री कमील

उभय पक्ष उप। पक्षकारान उपस्थित आये। अंतर्गत प्रोटेक्ट डेमो प्रा० लि. के अधिकृत अधिवक्ता श्री प्रदीप गोदारा के प्रार्थना पत्र बाबत पक्षकार बनाये जाने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित पेश किया। प्रति कमील वादी को दिलवाई गई। प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थी ने प्रतिवादीगण से पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर पक्षकार बनने हेतु लिखा है। प्रा० पत्र के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है। अतः विवादित भूमि की पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति पेश करने की शर्त पर प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। एवं प्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि अगली पेशी पर पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करे। अन्यथा प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित नियम 8-6 17 अस्वीकार कर दिया जावेगा।

कमीलवादी के संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल प्रजावली किया गया। पक्षकारान के अधिवक्तागण के संयुक्त पेश किया जो शामिल प्रजावली किया गया। प्रजावली बाबत अग्रिम निर्णय प्रा० पत्र। नियम 10 सपठित नियम 3/8/17 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

19/7/17

फरावली वकील पार्टी के अनुरोध पर
बाबत निगरानी तलबी पर आज पेशी है
पूर्व पेश हुई वकील अभियुक्त उपस्थित।
वकील परिवादी के प्रार्थना पत्र बाबत
वकील परिवादी के प्रार्थना पत्र बाबत
उद्घोषित रेकार्ड पर लेने पेश किया
जो शामिल पत्रावली किया जाता है
पश्चात के निर्णय दिनांक 8-6-2017 को
प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर अवैध
डिक्री रिद्द करते का निर्णय किया।
पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट
है कि वसूली परिवादी द्वारा दिनांक 25/3/2010
को केवल लोकअदालत के पक्ष में किये
गये निर्णय पत्र की नकल की सत्यापित
प्रतिलिपि प्रस्तुत की। अतः दिनांक
8-6-2017 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना
पत्र बाबत पहचान करने परते प्रार्थी
केवल लोकअदालत में बार किया जाता
है। उद्घोषित वारंट को अडोग बार
किया जाता है व दिनांक 8-6-2017 को
पश्चात द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार
पर अवैध डिक्री रिद्द करता है। निर्णय
अलग से लिखकर जारी। शामिल पत्रावली
किया जाता। पार्ट नक्ल पत्र डिक्री पार्टी
को पत्रावली मिसल शुमार होना बाद
कार्यवाही शामिल रजिस्टर हो।

सहायक कलक्टर (मु.)
सीकर

निर्णय आज दिनांक 19-7-2017 को
सरेइजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.)